4. The accounts of the Authorities, as certified by the Comptroller and Auditor General of India or any other person appointed by him in this behalf together with the audit report there on, shall be forwarded annually by the Authorities to the Central Government or the State Governments, as the case may be.
5. The Central Government shall cause the accounts and the audit reprot received by it under sub-section (4) to be laid, as soon as may be after they are received, before each House of Parliament.
6. The State Government shall cause accounts and the audit reprot received by it under sub-section (4) to be laid, as soon as may be after they are received, before the State Legislature.

CHAPTER VI

LOK ADALATS

Organisation of Lok Adalats

19. 1. Every State Authority or District Authority or the Supreme Court Legal Services Committee or every High Court Legal Services Committee or, as the case may be, Taluk Legal Sevices Committee may organise Lok Adalats at such intervals and places and for exercising such jurisdiction and for such areas as it thinks fit.

2. Every Lok Adalat organised for an area shall consist of such number of :-

(a) serving or retired judicial officers; and

(b) Other persons,

of the area as may be specified by the State Authority or the District Authority or the Supreme Court Legal Services Committe or the High Court Legal Services Committee, or as the case may be, the Taluk Legal Services

4. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक या इस निमित उनके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, यथा प्रमाणित, प्राधिकरण का लेखा उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, प्राधिकरण द्वारा प्रतिवर्ष यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को अग्रेषित किया जाएगा।
5. केन्द्रीय सरकार उपधारा (4) के अधीन उसके द्वारा प्राप्त लेखा और संपरीक्षा रिपोर्ट उनके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।
6. राज्य सरकार उपधारा (4) के अधीन उनके द्वारा प्राप्त लेखा और संपरीक्षा रिपोर्ट उनके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष रखवाएगी।

अध्याय 6

लोक अदालत

लोक अदालतों का आयोजन

19. 1. यथास्थिति, प्रत्येक राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति या प्रत्येक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या तालुक विधिक सेवा समिति ऐसे अन्तरालों और स्थानों पर और ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए तथा ऐसे क्षेत्रों के लिए जो वह ठीक समझे, लोक अदालतों का आयोजन कर सकेगी।

2. किसी क्षेत्र के लिए आयोजित प्रत्येक लोक अदालत उस क्षेत्र के उतने :-

(क) सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों, और

(ख) अन्य व्यक्तियों,

से मिलकर बनेगी जितने ऐसी लोक अदालतों का आयोजन करने वाले, यथास्थिति, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, या तालुक विधिक सेवा समिति द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

Committee, organising such Lok Adalat.

3. The experience and qualifications of other persons referred to in clause (b) of sub-section (2) for Lok Adalats organised by the Supreme Court Legal Services Committee shall be such as may be prescribed by the Central Government in consultation with the Chief Justice of India.

4. The experience and qualifications of other persons referred to in clause (b) of sub-section (2) for Lok Adalats other than referred to in sub-section (3) shall be such as may be prescribed by the State Government in Consultation with the Chief Justice of the High Court.

5. A Lok Adalat shall have jurisdiction to determine and to arrive at a copromise or settlement betwen the parties to a dispute in respect of -

   (i) any case pending before; or

   (ii) any matter which is falling within the jurisdiction of and is not brought before, any court for which the Lok Adalat is organised;

   Provided that the Lok Adalat shall have no jurisdictions in respect of any case or matter relating to an offence not compoundable under any law.

Congnizance of cases by Lok Adalats

20. 1. Where in any case referred to in clause (i) of sub-section (5) of section 19-

   (i) (a) the parties thereof agree; or

   (b) one of the parties thereof makes an application to the court, for referring the case to the Lok Adalat for settlement and if such Court is Prima facie satisfied that there are chances of such settlement; or

3. उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा आयोजित लोक अदालतों के लिए उपधारा (2) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों का अनुभव और अर्हताएं वे होंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित की जाएं।

4. उपधारा (3) में निर्दिष्ट लोक अदालतों से भिन्न लोक अदालतों के लिए उपधारा (2) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों का अनुभव और अर्हताएं वे होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित की जाएं।

5. किसी लोक अदालत को, उस न्यायालय के, जिसके लिए लोक अदालत आयोजित की जाती है :-

   (क) समक्ष लम्बित किसी मामले के बाबत्, या

   (ख) उसकी अधिकारिता के भीतर आने वाले, किसी ऐसे विषय के बाबत् जो उसके समक्ष नहीं लाया गया है,

   किसी विवाद का अवधारण करने और उसके पक्षकारों के बीच समझौता या परिनिर्धारण करने की अधिकारिता होगी:-

   परन्तु लोक अदालत को किसी ऐसे अपराध से संबंधित किसी मामले या विषय के बारे में कोई अधिकारिता नहीं होगी, जो किसी विधि के अधीन शमनीय नहीं है।

लोक अदालतों द्वारा मामलों का संज्ञान

20. 1. जहाँ धारा 19 की उपधारा (5) के खण्ड (i) में निर्दिष्ट किसी मामले में:-

   i) उस मामले को परिनिर्धारण के लिए लोक अदालत को निर्दिष्ट करने के लिए :-

   क. उसके पक्षकार सहमत हैं, या

   ख. उसका कोई पक्षकार न्यायालय को आवेदन करता है और यदि ऐसे न्यायालय को प्रथम दृष्टया समाधान हो जाता है कि ऐसे परिनिर्धारण की संभावनाएं हैं, या

(ii) The court is satisfied that the matter is an appropriate one to be taken congnizance of by the Lok Adalat;

The Court shall refer the case to the Lok Adalat;

Provided that no case shall be referred to the Lok Adalat under sub-clause (b) of clause (i) or clause (ii) by such court except after giving a reasonable opportunity of being heard to the parties.

2. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the Authority or committee organising the Lok Adalat under sub-section (i) of section 19 may, on receipt of an application from any one of the parties to any matter referred to clause (ii) of sub-section (5) of section 19 that such matter needs to be determinced by a Lok Adalat, refer such matter to the Lok Adalat, for determination;

Provided that no matter shall be referred to the Lok Adalat except after giving a reasonable opportunity of being heard to the other party.

3. Where any case is referred to a Lok Adalat under sub-section (1) or where a reference has been made to it under sub-section (2), the Lok Adalat shall proceed to dispose of the case or matter and arrive at a compromise or settlement between the parties.

4. Every Lok Adalat shall, while determining any refernece before it under this Act, with utmost expedition to arrive at a compromise or settlement between the parties and shall be guided by the principles of justice, equity, fair play and other legal principles.

5. Where no award is made by the Lok Adalat on the ground that no compromise or

ii) न्यायालय का समाधान हो जाता है कि वह मामला लोक अदालत द्वारा संज्ञान में लिये जाने के लिए समुचित मामला है, तो न्यायालय उस मामले को लोक अदालत को निर्दिष्ट करेगा :

परन्तु खण्ड (i) के उपखण्ड (ख) या खण्ड (ii) के अधीन कोई मामला लोक अदालत को ऐसे न्यायालय द्वारा पक्षकारों की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ही निर्दिष्ट किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

2. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, धारा-19 की उपधारा (i)-के अधीन लोक अदालत का आयोजन करने वाला प्राधिकरण या समिति, धारा 19 की उपधारा (5) के खण्ड (ii) में निर्दिष्ट किसी मामले के किसी एक पक्षकार से ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर कि ऐसे मामले को लोक अदालत द्वारा अवधारित किया जाना आवश्यक है, ऐसे मामले को लोक अदालत को अवधारण के लिए निर्दिष्ट कर सकेगी :

परन्तु लोक अदालत को कोई मामला अन्य पक्षकार को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ही निर्दिष्ट किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

3. जहां कोई मामला उपधारा (1) के अधीन लोक अदालत को निर्दिष्ट किया जाता है या जहां उपधारा (2) के अधीन उसे कोई निर्देश किया गया है वहां लोक अदालत उस मामले या विषय का निपटारा करने के लिए अग्रसर होगी और पक्षकारों के बीच समझौता कराएगी या परिनिर्धारण करेगी।

4. प्रत्येक लोक अदालत इस अधिनियम के अधीन अपने समक्ष किसी निर्देश का अवधारण करते समय पक्षकारों के बीच समझौता कराने या परिनिर्धारण करने के लिए अत्यधिक शीघ्रता से कार्य करेगी और न्याय, साम्या, ऋजुता और अन्य विधिक सिद्धान्तों द्वारा मार्गदर्शित होगी।

5. जहां लोक अदालत द्वारा इस आधार पर कोई अधिनिर्णय नहीं दिया गया है कि पक्षकारों के बीच कोई समझौता या परिनिर्धारण नहीं हो सका है, वहां उस मामले का अभिलेख

attendance of any witness and examining him on oath;

(b) the discovery and production of any document;

(c) the reception of evidence on affidavits;

(d) the requisitioning of any public record or document or copy of such record or document from any court or office; and

(e) such other matters as may be prescribed.

2. Without prejudice to the generality of the powers contained in sub-section (1), every Lok Adalat shall have the requisite powers to specify its own procedure for the determination of any dispute coming before it.

3. All proceedings before a Lok Adalat shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of sections 193, 219 and 228 of the Indian Penal Code and every Code and every Lok Adalat shall be deemed to be a civil court for the purpose of section 195 and chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure, 1973.

CHAPTER VIA

PRE-LITIGATION AND SETTLEMENT

22A. In this Chapter and for the purposes of sections 22 and 23, unless the context otherwise requires-

(a) "Permanent Lok Adalat" means a Permanent Lok Adalat" means a Permanent Lok Adalat established under sub-section (1) of section 22B;

(b) "public utility service" means any--

(i) transport service for the carriage of passengers or goods by air, road or water; or

(ii) postal, telegraph or telephone service;

और शपथ पर उसकी परीक्षा करना,

(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और उसको पेश किया जाना,

(ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना,

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या दस्तावेज अथवा ऐसे अभिलेख या दस्तावेज की प्रति की अध्यपेक्षा करना, और

(ड.)ऐसे अन्य विषय, जो विहित किए जाएं।

2. उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक लोक अदालत को उसके समक्ष आने वाले किसी विवाद के अवधारणा के लिए अपनी प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करने की अपेक्षित शक्ति होगी।

3. लोक अदालत के समक्ष सभी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193, धारा 210 और धारा 228 के अर्थ के भीतर न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी और प्रत्येक लोक अदालत, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजन के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

अध्याय 6 क

* मुकदमा-पूर्व सुलह और समझौता

परिभाषाएं

22क. इस अध्याय में धारा 22 और धारा 23 के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "स्थाई लोक अदालत" से धारा 22 ख की उपधारा (1) के अधीन स्थापित कोई स्थाई लोक अदालत अभिप्रेत है,

(ख) "उपयोगिता सेवा" से अभिप्रेत है कोई, :-

(i) वायु, सड़क, रेल या जलमार्ग द्वारा यात्रियों या माल के वहन के लिए यातायात सेवा, या

(ii) डाक, तार या टेलीफोन सेवा, या

* Added by Chapter 6a Legal Services Authorities (Ammendment) Act 2002 The Gazette of India No. 40 Dated 12.06.2002

* भारत सरकार के राजपत्र संख्या 40/दिनांक 12-06-2002 द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा अध्याय 6क को जोड़ा गया।